रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2005/ज्येष्ठ 5, 1927
No. 527] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2005/JYAISTHA 5, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पोत परिवहन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2005

का.आ. 727(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 150 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, पोर्ट-ब्लेयर में मुख्यालय से युक्त एक अधिकरण गठित किया और उक्त अधिकरण में श्री जनक दीगल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम संघ-राज्य-क्षेत्र: 1985) को दिनांक 2 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 502(अ) द्वारा, वर्ष, 2004 की रिट याचिका संख्या 120 से उद्भूत, अंतर-द्वीप-नाविक-संघ और अन्य के आवेदन में उठाया गया विवाद निबटाने हेतु उपर्युक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर उपर्युक्त अधिकरण का अधिनिर्णय, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए नियुक्त किया।

जबकि श्री जनक दीगल के अनुरोध पर उपर्युक्त अधिकरण द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का समय, दिनांक 4 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना द्वारा 30 अप्रैल, 2005 तक बढ़ा दिया गया।

जबकि श्री जनक दीगल ने अपने दिनांक 3 मई, 2005 के पत्र द्वारा यह बताया है कि द्वीप-समूहों के सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास से संबंधित काम-काज की देख-रेख में अपनी व्यस्तता के कारण, वह जांच, 30 अप्रैल, 2005 तक पूरी नहीं कर सके, हालांकि उपर्युक्त अधिकरण ने दो बार सुनवाई की और इसलिए उन्होंने उपर्युक्त एक व्यक्ति के अधिकरण का कार्य-काल और उपर्युक्त अधिकरण द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का समय, 15 जून, 2005 तक बढ़ा देने का अनुरोध किया है।

श्री जनक दीगल के उपर्युक्त अनुरोध पर विचार करके, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उपर्युक्त अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु उसका कार्य-काल, 15-6-2005 तक और बढ़ा देने का निर्णय करती है।

[फा. सं. एस एस-14017/11/2004-एस वाई II]

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(SHIPPING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2005

S.O. 727(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 constituted a Tribunal with Headquarters at Port Blair appointing Shri Janak Digal, IAS (AGMUT: 1985) to the said Tribunal with the direction to submit the Award of the Tribunal to the Central Government within one month from the date of publication of the Notification, for setting the dispute raised in the application of Inter-Island Seamen Union and another, arising from Writ Petition No. 120 of 2004, vide Notification No. S.O. 502(E) dated 2nd February, 2005.

Whereas at the request of Shri Janak Digal the time for submission of the report by the Tribunal was extended up to 30th April, 2005 vide Notification dated 4th April, 2005.

Whereas Shri Janak Digal vide his letter dated 3rd May, 2005 has stated that due to his busyness in rehabilitation works in the Tsunami affected areas of the Islands he could not complete the enquiry by 30th April, 2005, although the Tribunal held two hearings and has, therefore requested for extension of the time of one person Tribunal and submission of report by the Tribunal up to 15th June, 2005.

Having considered the request of Shri Janak Digal the Central Government hereby further decides to extend the tenure of Tribunal up to 15-6-2005 for submission of the report to the Central Government.

[F. No. SS-14017/11/2004-SY II]

SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.